

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

१९,माल रोड,मुबार, ग्वालियर - ४७४००६



Government of India

Ministry of Finance

Central Bureau of Narcotics

19, The Mall, Morar, Gwalior - 474006

(PBX) (91) 751-2368996/2368997; FAX: (91) 751-2368111/2368577; GRAM:NARCOM; E-MAIL:narcom@sancharnet.in

फा.सं. 5/4/Vig./2011

दिनांक ११.०४.२०१४

**स्थापना आदेश संख्या 23/2014**

दिनांक 11.04.2014 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति 2008-09 रिब्यू एवं 2012-13 एवं 2013-14 के परिणाम के अनुसरण में इस विभाग के निम्नलिखित उप-निरीक्षक / उच्च श्रेणी लिपिक को एतद् द्वारा निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करके रुपये 9300-34800 के वेतन बैंड-2 (Pay Band 2) एवं रुपये 4200 (ग्रेड पे) में उच्च पद में उस दिनांक से पदस्थ किया जाता है जिस तिथि को वे उक्त कार्यभार ग्रहण करते हैं:-

क्रम	कर्मचारी का नाम ;उच्च श्रेणिक लिपिक सर्वश्री
१.	आर.बी.राठौर
२.	विजय कुमार वैध(SC)
३.	श्रीमती राजकुमारी साहू
४.	संजय दादा शमटेक(SC)
५.	सूरज कुमार वर्मा
६.	शशिकांत सिंह
७.	राजेश रत्न पारखे
८.	ओंकार प्रसाद
९.	धर्मेन्द्र लिखार
१०.	अनुज कुमार

क्रम	कर्मचारी का नाम उप-निरीक्षक सर्वश्री
१.	के.के. श्रीवास्तव
२.	जी.सी.गुप्ता
३.	एस.आर.पवार
४.	एच.सी.गुप्ता
५.	श्रीमती शांती मुजु
६.	हंस राज वामन
७.	बजरंग लाल
८.	पी.एल.जैन
९.	महेश प्रताप (SC)
१०.	एन.एम.श्रोत्रिय
११.	करुण बिलग्रामी
१२.	रइसउद्दीन खान
१३.	देवेन्द्र सिंह

*De 4*

१४.	बी.एल.कैम (SC)
१५.	के.एस. पंथी
१६.	अभय केतकर
१७.	अशोक कुमार आर्या (SC)
१८.	राजेश कुमार मीणा (ST)
१९.	गिरवर पुरी
२०.	जगदीश चन्द्र यादव (SC)
२१.	राम किशन कश्यप (SC)
२२.	आशीष भटनागर
२३.	अतानु चटर्जी
२४.	रजनीश शर्मा
२५.	श्रीमती संदीपा चटर्जी
२६.	राम सेवक बाथम
२७.	डी.के.बरेठा
२८.	ब्रजपाल सिंह (ST)
२९.	होती लाल (SC)

उपर्युक्त कर्मचारी यह नोट करें कि :-

- इस आदेश के जारी होने के १५ दिन के अंदर यदि वे पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो स्वामी संकलन की वरिष्ठता एवं पदोन्नति एवं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या २२०३४/३/८१ स्थापना, धृद्ध दिनांक १.१०.१९८९ के पैरा १७.१२ के अनुसरण में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
  - निरीक्षक के पद पर उनकी वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति २०१३-१४ द्वारा बनाए गए पेनल के आधार पर रखी जाएगी।
  - उन्से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय ज्ञापन संख्या ७/१/८०/स्थापना प्रथम, दिनांक २६.०९.१९८९ के तहत पदोन्नति के उपरान्त एक माह के अन्दर अपने वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकते हैं लेकिन जहाँ कर्मचारी ने ACP/MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लिया है, वहाँ वेतन निर्धारण DOPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्रमशः 35034/1/97-Estt.(D) दिनांक 09-08-1999, O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक १९.०५.२००९ के तहत किया जायेगा।
  - उपर्युक्त DPC, OA No.912/2013- श्री पी. के. दीक्षित, एवं अन्य विरुद्ध UOI, माननीय न्यायालय CAT प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के निर्णय पर आधारित होंगे।
- उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारीगण वर्तमान में कार्यरत कार्यालय में ही अपनी उपस्थिति देंगे।

हस्ता. (विजय कलसी)  
नारकोटिक्स आयुक्त

प्रति,


श्री .....

.....

.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक इस कार्यालय को तुरंत सूचित करने का कष्ट करें:-

१. श्रीमान् मुख्य नियंत्रक, चासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली/ग्वालियर
२. श्रीमान् महा प्रबन्धक, चासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच/गाजीपुर
३. श्रीमान् उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
४. श्रीमान् उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच/कोटा/लखनऊ
५. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर।
६. सतर्कता/वेतन बिल/लेखा अनुभाग, सी.बी.एन., ग्वालियर।
७. निजी सहायक, नारकोटिक्स आयुक्त, /निजी सहायक उनाआ, सनाआ /नि०/तक०/, ग्वालियर।
८. गार्ड फाईल।

  
11.4.2014  
(विजय कलसी)  
नारकोटिक्स आयुक्त

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

१९, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - ४७४००६



Government of India

Ministry of Finance

Central Bureau of Narcotics

19, The Mall, Morar, Gwalior - 474006

☎ (PBX) (91) 751-2368996/2368997; FAX: (91) 751-2368111/2368577; GRAM:NARCOM; E-MAIL:narcom@sancharnet.in

फा.सं. 11(3)12/Estt./2014-19

दिनांक २४.०४.२०१४

शुद्धि पत्र

स्थापना आदेश संख्या २३/२०१४ दिनांक 11.04.2014 के तहत श्री जगदीश चन्द्र यादव (SC) उप-निरीक्षक को, आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हेतु आदेश जारी किया गया था। चूंकि श्री जगदीश चन्द्र यादव (SC) दिनांक ३१.०३.२०१४ को Voluntary Retirement ले चुके हैं परिणामस्वरूप उनका पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाता है।

  
(विजय कलसी)  
नारकोटिक्स आयुक्त